न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.155/अपील/2018 (GCMS No. 2018/00253)	02.04.2018	28.10.2024

रामनिवास मीणा आ. नारायण, निवासी खान की झौपड़ियां हाल ग्राम दुगारी,तहसील नैनवां,जिला बून्दी (मृतक जर्ये कायम मुकाम)
1/1. श्रीमती सन्तराबाई पत्नी स्व. रामनिवास मीणा,
1/2. रामराय आ. स्व. रामनिवास मीणा,
1/3. सुनील कुमार आ. स्व. रामनिवास मीणा, निवासी खान की झौपड़ियां, हाल ग्राम दुगारी, तहसील नैनवां, जिला बून्दी

– अपीलांट

बनाम

1. देवा आ. स्व. घासी जाति मीणा, निवासी संवर, तहसील तालेडा
2. चौथमल आ.स्व.घासी जाति मीणा,निवासी संवर, तहसील तालेडा
3. तहसीलदार, बून्दी
4. लालचंद आ. मथरालाल जाति मीणा, निवासी कांजरी सिलोर, तहसील एवं जिला बून्दी।

– रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पो. सं. 4 की ओर से श्री शकील अहमद, एडवोकेट।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 13 दिनांक 20.07.1976 ग्राम कांजरी सिलोर से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से आवंटी भूमि पर घासी वल्द गोपाल कौम मीना सा.कांजरी सिलोर को गैर खातेदार दर्ज किया गया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 155/2018 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2018/00253 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अपीलांट की ओर से प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. दिनांक 20.02.23 को पेश किया जाकर अपीलांट रामनिवास की **डेढ़** वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाना अंकित करते हुये वारिसान को कायम मुकाम बनाये जाने का निवेदन किया गया। बाद सुनवाई उक्त प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 29.01.24 को वारिसान को कायम मुकाम बनाया गया। रेस्पो.सं.1 व 2 द्वारा दिनांक 11.6.24 को जवाब पेश किया जाकर प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किये जाने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं.3 की ओर से दिनांक 01.10.24 को जवाब पेश किया जाकर अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा सं. 185 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं. 195 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा वाकेग्राम कांजरी सिलोर, तहसील बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि तलाई एवं रास्ते की भूमि है। इसके बावजूद भी उक्त भूमि का आवंटन नियमों के विपरीत रेस्पो.सं.1 व 2 के पिता घासी वल्द गोपाल मीणा साकिन कांजरी सिलोर को कर दिया गया। उक्त भूमि तलाई व रास्ते की बंजड भूमि थी, जिसका आवंटन नियमानुसार नहीं किया जा सकता था। उक्त भूमि का गैर कानूनी रूप से दर्ज किया गया गैर खातेदारी का इन्तकाल नं. 13 दिनांक 20.07.1976 अवैधानिक होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि मवेशियों के पानी पीने योग्य तलाई की भूमि है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। गे0मु0रास्ते की भूमि पर गांव का रास्ता होने से उक्त गैर खातेदारी का इन्तकाल नियमों के विपरीत खोला गया है, जो निरस्तनीय है। आवंटित भूमि पर कभी भी न तो आवंटी घासी या उसके वारिसान का कब्जा रहा है और न ही आवंटी घासी ने या उसके वारिसान ने कभी इस पर काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलते समय कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की गई और न ही मौका स्थिति का अवलोकन किया गया है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण खोलने से पूर्व नामान्तरकरण संबंधी नियमों की पालना की गई है, इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण दिनांक 20.07.1976 की जानकारी 07.02.2018 को होने पर अपीलांट द्वारा नकल दिनांक 09.02.2018 को प्राप्त की जाकर अपील दिनांक 28.03.2018 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का निवदेन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 व 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 20.07.1976 की जानकारी दिनांक 07.02.2018 को होने पर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 09.02.2018 को नकल प्राप्त होने पर दिनांक 28.03.2018 को अपील प्रस्तुत किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। पहली बात तो अपीलांट को 41 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने तक जिस भूमि के राजस्व रिकार्ड की जानकारी करने की जरूरत नहीं पडी हो, तो यह तथ्य उस भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं होना प्रमाणित करता है। दूसरी बात, जब अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की नकल दिनांक 09.02.18 को प्राप्त हो चुकी थी, तो जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में संतोषजनक कारण नही बताया गया, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना जरूरी है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने कानूनन मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1, 2 ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पो.सं.1 व 2 के पिता घासी वल्द गोपाल मीणा निवासी कांजरी सिलोर को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा नियमानुसार दिनांक 15.11.75 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया तथा पट्टा फीस जमाकर नियमानुसार दखलनामा दिया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया। आवंटी घासी वल्द गोपाल को आवंटी भूमि पर नामान्तरकरण सं.13 दिनांक 20.07.1976 से गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। आवंटित भूमि ग्राम कांजरी सिलोर, तहसील बून्दी में स्थित है जबकि अपीलांट उक्त ग्राम या पंचायत का निवासी नहीं है अपितु ग्राम दुगारी, तहसील नैनवां का निवासी है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही उसने अपील में अपना कब्जा होना अंकित किया है। इसलिए नामान्तरकरण से वह किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने से अपीलांट पीडित पक्षकार नहीं है। अपीलांट की इस संबंध में कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से उसको अपील प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है। इसके साथ अपीलांट ने धारा 96 जा.दी. के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि के रास्ता व तलाई होने की आपत्ति प्रकट की है जबकि वक्त आवंटन उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में रास्ता व तलाई दर्ज नहीं थी अपितु उक्त भूमि की किस्म बारानी सोयम है। रेस्पो.सं.1,2 उक्त आराजी पर नामान्तरण सं. 216 दिनांक 25.02.2005 से खातेदार में दर्ज रेकार्ड है, ऐसे में अपीलांट को खातेदारी अधिकार को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के बजाय गैर खातेदारी के नामान्तरकरण के विरूद्ध पेश की गई अपील चलने योग्य नहीं है। वकील रेस्पो.सं. 1, 2 द्वारा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

रेस्पो.सं. 4 के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि रेस्पो.सं. 4 लालचंद द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 195 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.09.2017 से क्रय की गयी है तथा वह उक्त भूमि पर सदभावी विधिवत केता है जो अपने खाते की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 4 ने बिना किसी सरोकार के अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपील का सर्वप्रथम परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर विलम्ब अवधि का शमन किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर जाहिर आया कि पत्रावली संख्या 735 पर दिनांक 15.11.1975 को सिवायचक भूमि लगानी भूमि खसरा सं. 185 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा सं.195 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम कांजरी सिलोर का आवंटन घासी आ. गोपाल जाति मीना निवासी कांजरी सिलोर को किये जाने से नामान्तकरण सं. 13 दिनांक 20.07.76 से आवंटी के पक्ष में गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया गया है। उक्त नामान्तरकरण पर आपत्ति प्रकट करते हुये अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 अनुसार उक्त भूमि खसरा सं. 185 एवं 195 पर देवा, चौथमल पि0 घासी कौम मीणा निवासी कांजरी सिलोर जर्ये नामान्तरकरण सं. 216 दिनांक 25.02.2005 से खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 अनुसार उक्त भूमि में से खसरा सं. 195 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा लालचन्द पि. मथुरालाल कौम मीना निवासी ग्राम कांजरी सिलोर की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा इस अपील के साथ ही मूल आवंटन आदेश दिनांक 15.11.1975 को खारिज किये जाने हेतु पृथक से कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 98/2018 बउनवान रामनिवास बनाम देवा वगै. पेश किया गया था, जो बाद सुनवाई उभय पक्षकारान पारित निर्णय दिनांक 28.10.2024 से खारिज किया जा चुका है। अपीलाधीन नामान्तरकरण मूल आदेश नहीं है अपितु आवंटन आदेश की पालना में दर्ज रेकार्ड किया गया। ऐसे में उक्त आवंटन दिनांक 15.11.1975 के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी